

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित हैं, में से किसी एक के नाम में पते की स्व:प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज:- (इनमें से कोई एक)

- | | |
|---|---|
| 1. ☐ उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का) | 2. ☐ आधार कार्ड |
| 3. ☐ राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक | 4. ☐ भारतीय पासपोर्ट |
| 5. ☐ राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है | |
| 6. ☐ रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) | |
| 7. ☐ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) | |

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज: -

(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ चलित ☐ दृष्टि ☐ मूक-बधिर
यदि कोई और हो (वर्णन करें) _____

दिव्यांगता का प्रतिशत ☐ % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परिवार के सदस्य का नाम: _____ आवेदक के साथ संबंध _____

उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं०: _____

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, --

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है :- _____ ग्राम/शहर
_____ जिला _____ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8 (क) में दिए गए पते वाले स्थान में _____ (मास और वर्ष का वर्णन करें) से मामूली तौर से निवासी हूँ।

(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iv) मेरे पास ऊपर 7 ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु सबूत के समर्थन में _____ (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।

(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख: _____

स्थान: _____

आवेदन के हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंध के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके / उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पण:-

*	विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
^	उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।
#	उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य हैं, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।



आवेदन के लिए स्वीकृति / रसीद



अभिस्वीकृति संख्या _____ तारीख _____

श्री/श्रीमती/ सुश्री _____ का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्राप्ति तिथि जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम / हस्ताक्षर